जून 2018

उपलब्धियों की झलक 2014-2018

संसदीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
https://mpa.gov.in/

संसदीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों की झलक (2014-18)

झलक:

विधिक सुधारों के भाग के रूप में 151 अधिनियम अधिनियमित किए गए।

व्यापार करने की सुविधा के भाग के रूप में 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।

श्री अनंतकुमार, कैबिनेट मंत्री

विधायी कार्य:

* 7 संवैधानिक संशोधन किए गए।
* 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।
* 189 विधेयक पुर:स्थापित किए गए।
* 299 विधेयक पारित किए गए।
* 151 विधेयक अधिनियमित किए गए।
* माल और सेवा कर अधिनियम।

विशिष्ट कार्यक्रम:

* 3 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए गए।
* युवा संसद योजनाओं में 1312 शैक्षिक संस्थाओं को शामिल किया गया।
* 39 "नया भारत: संकल्प से सिद्धि" प्रदर्शनियां और संगोष्ठियां आयोजित की गई।
* केंद्रीय कक्ष में ऐतिहासिक माल और सेवा कर का उद्घाटन समारोह।

श्री विजय गोयल, राज्य मंत्री

श्री अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री

डिजिटल पहलें:

* राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन; रू.739 हेतु ईएफसी अनुमोदन, शुरूआत करना प्रगति पर है।
* संसदीय कार्य मंत्रालय ई-ऑफिस के माध्यम से पूर्णत: स्वचालन में है।
* आश्वासनों का ऑनलाइन मॉनीटरन, 20121 लंबित आश्वासनों में से 15234 का पालन किया गया/पूरा किया गया।
* संसद सदस्यों के साथ मंत्री के साथ परस्पर संवाद सहित स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया।

शासन सुधार:

* बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण की तारीख को पूर्वित किया जाना।
* रेल बजट और योजना एवं योजनेत्तर व्यय का आमेलन।
* संसदविदों के 5 सद्भावना शिष्टमंडल 13 देशों में भेजे गए।

संसद का विधायी कार्य	रा.स.	लो.स.	कुल
16वीं लोक सभा के समक्ष लंबित विधेयक	120	0	120
पुर:स्थापित किए गए विधेयक	6	183	189
पारित किए गए विधेयक	131	168	299
अधिनियमित किए गए विधेयक	151	151	151
विचारण के लिए लंबित विधेयक	100	50	150

विधायी पहलों की झलक:

झलक:

विधि सुधारों के भाग के रूप में 151 अधिनियम अधिनियमित किए गए।

व्यापार करने की सुविधा के भाग के रूप में 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।

विधायी कार्य:

* 7 संवैधानिक संशोधन किए गए।
* 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।
* 189 विधेयक पुर:स्थापित किए गए।
* 299 विधेयक पारित किए गए।
* 151 विधेयक अधिनियमित किए गए।
* माल और सेवा कर अधिनियम।

डिजिटल पहलों की झलक :

झलक:

विधि सुधारों के भाग के रूप में 151 अधिनियम अधिनियमित किए गए।

व्यापार करने की सुविधा के भाग के रूप में 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।

डिजिटल पहलें:

* राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन; रू.739 हेतु ईएफसी अनुमोदन, शुरूआती कार्य प्रगति पर है।
* संसदीय कार्य मंत्रालय ई-ऑफिस के माध्यम से पूर्णत: स्वचालन में है।
* आश्वासनों का ऑनलाइन निरीक्षण 9111 लंबित आश्वासनों में से 5576 को पूरा किया गया।
* संसद सदस्यों के मंत्री के साथ परस्पर संवाद के साथ स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया।

विशिष्ट कार्यक्रमों की झलक

झलक:

विधि सुधारों के भाग के रूप में 151 अधिनियम अधिनियमित किए गए।

व्यापार करने की सुविधा के भाग के रूप में 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।

विशिष्ट कार्यक्रम:

* 3 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए गए।
* युवा संसद योजनाओं में 1312 शैक्षिक संस्थाओं को शामिल किया गया।
* 39 "नया भारत: संकल्प से सिद्धि" प्रदर्शनियां और संगोष्ठियां आयोजित की गई।
* केंद्रीय कक्ष में ऐतिहासिक माल और सेवा कर का उद्घाटन समारोह।

शासन सुधारों की झलक

झलक:

विधि सुधारों के भाग के रूप में 151 अधिनियम अधिनियमित किए गए।

व्यापार करने की सुविधा के भाग के रूप में 1428 अधिनियमों का निरसन किया गया।

शासन सुधार:

* बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण की तारीख को पूर्वित किया जाना।
* रेल बजट का केंद्रीय बजट और योजना एवं योजनेत्तर व्यय का आमेलन।
* संसदविदों के 5 सद्भावना शिष्टमंडल 13 देशों में भेजे गए।

विषय-सूची

1. विधायी कार्य.....
2. माल और सेवा कर का आरंभ.....
3. 'नया भारत हम करके रहेंगे' पर प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी .....
4. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....
5. युवा संसद योजना.....
6. शैक्षिक संस्थाओं में युवा संसद प्रतियोगितओं के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान .....
7. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन: ई-संसद और ई-विधान, मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.).....
8. मंत्रालय में ई-ऑफिस एम.एम.पी. का कार्यान्वयन .....
10. सद्भावना शिष्टमंडल .....

मंत्रालय में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों/नीतियों, उपलब्धियों आदि की झलक दर्शाते हुए व्यापक प्रगति रिपोर्ट

संसद में सरकार की ओर से विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है।

1. विधायी कार्य

i) 16वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हुए संसद के दोनों सदनों द्वारा कुछ ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए थे। विधायी उपायों में कुछ ऐतिहासिक महत्व के अधिनियमों का पारण शामिल है, जिनके देश और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, जिसे आमतौर पर जीएसटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें **एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था** की परिकल्पना की गई है।

ii) 16वीं लोक सभा के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधान हैं - सीमा संबंधी मामलों के संबंध में भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके माध्यम से तैयार मूल पत्र के अनुसरण में संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015, एक ऐसा अधिनियम जो आधार और काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए विधियों आदि के माध्यम से नागरिकों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उपलब्ध कराने से संबंधित है।

तुलनात्मक विधायी कार्य

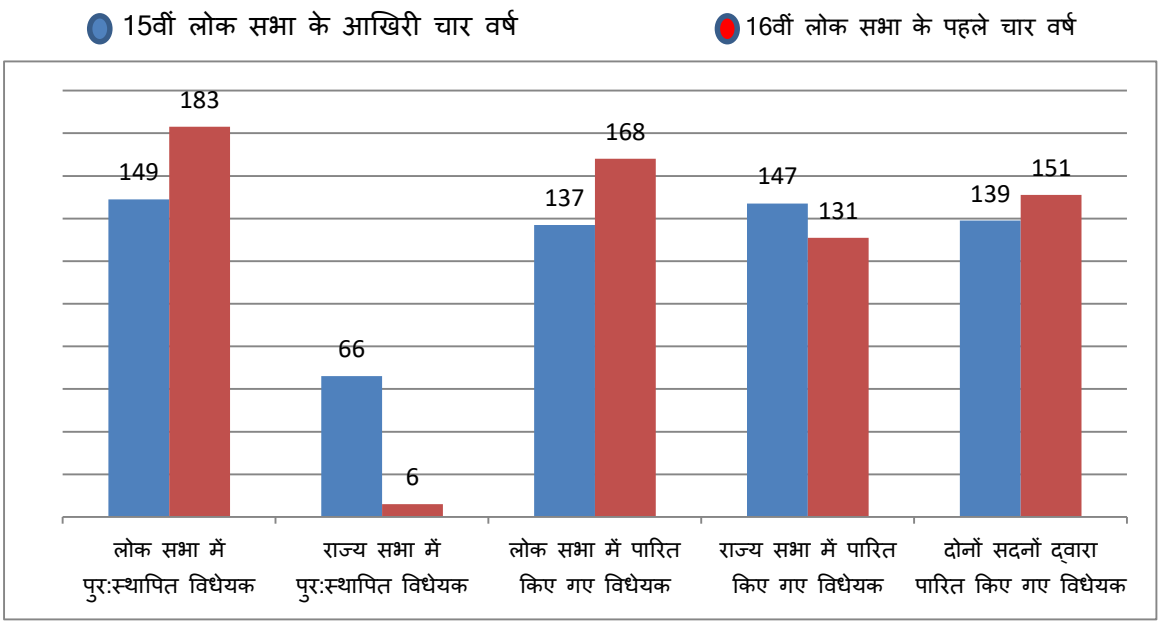

iii) अलविदा - पुराने कानून:

वर्तमान सरकार ने कानून की किताबों से पुराने, अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने में एक प्रकार से रिकार्ड बनाया है। पिछले चार वर्षों के दौरान, सरकार ने 1428 पुराने और अनावश्यक कानूनों का निरसन किया है।

iv) अन्य विधायी सूचना

- दिनांक 1.5.2018 की स्थिति के अनुसार, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1627 मामले और राज्य सभा में 265 विशेष उल्लेख लंबित थे।

- मई, 2014 से मई, 2018 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 4281 मामलों और राज्य सभा में 1124 विशेष उल्लेखों का उत्तर दिया गया।

v) बजट

इस सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय रेल बजट और सामान्य बजट को आमेलित करना और सामान्य बजट के प्रस्तुतिकरण की तारीख को पूर्वित करके 1 फरवरी करना है। इसने बजट चक्र के पहले पूरा होने का मार्ग प्रशस्त किया है और मंत्रालयों एवं विभागों को वित्तीय वर्ष की शुरूआत से योजनाओं का बेहतर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाया है तथा यह पहली तिमाही सहित पूरे कामकाजी मौसम की उपयोगिता को सक्षम बनाएगा।

2. माल और सेवा कर का शुभारंभ

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 30 जून, 2017 की आधी रात को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माल और सेवा कर (जीएसटी) के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए इतिहास रच दिया। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और इसमें संसद सदस्यों, व्यवसाय प्रधानों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया था।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री केंद्रीय कक्ष, संसद भवन में आधी रात को जीएसटी की शुरूआत का उद्घाटन करते हुए

3. 'नया भारत हम करके रहेंगे' विषय पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी

संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ और 2022 में स्वतंत्रता की आगामी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देश भर में 39 स्थानों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग तथा दिल्ली दूरदर्शन के सहयोग से 'नया भारत हम करके रहेंगे' अथवा 'न्यू इंडिया - वी रिजोल्व टू मेक' विषय पर प्रदर्शनी सह संगोष्ठी के आयोजन का समन्वय किया। प्रदर्शनियों का मुख्य आकर्षण 1857 से 1947 के दौरान भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करने के लिए शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों, जैसे कि "भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम", "चंपारण सत्याग्रह", "असहयोग आंदोलन", "दांडी यात्रा" और "भारत छोड़ो आंदोलन" को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, 1942 से 1947 की पांच वर्ष की अवधि को यह दिखाने के लिए दर्शाया गया कि आजादी के लिए भारत के संघर्ष के आंदोलन ने किस प्रकार ब्रिटिश शासन से मुक्ति हेतु लड़ने के लिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया था और इसके साथ-साथ 2017 से 2022 तक नए भारत का स्वपन दर्शाया गया जब हम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे।

वर्ष 2017 से 2022 तक की पांच वर्ष की अवधि एक 'नए भारत' की ओर "संकल्प से सिद्धि" का एक अनूठा अवसर प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किए गए जन अभियान के अनुसरण में देश को भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, गंदगी मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त, आतंकवाद मुक्त और जातिवाद मुक्त बनाने हेतु छः संकल्प लेने के संबंध में है। यह कार्यक्रम नए भारत के स्वपन को पूरा करने में मदद करने के लिए देश के लोगों के बीच "संकल्प से सिद्धि" के प्रधान मंत्री के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 के अगस्त, सितंबर और अक्तूबर माह के दौरान पूरे देश में 39 महत्वपूर्ण स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

उप राष्ट्रपति, तमिलनाडु के राज्यपाल और संसदीय कार्य मंत्री चेन्नई में "नया भारत हम करके रहेंगे" विषय पर फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर।

4. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

2009-2014 की अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा केवल एक अखिल भारतीय सचतेक सम्मेलन (15वां) आयोजित किया गया था। हालांकि, मई, 2014 से मई, 2018 की अवधि के दौरान, ऐसे तीन सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन 13 - 14 अक्तूबर, 2014 को गोवा में किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन 29 - 30 सितंबर, 2015 को विशाखापटनम में किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सरकार के सक्रिय सहयोग से 8 - 9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने मुख्य मंत्री, राजस्थान, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उदयपुर में 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का उद्घाटन किया।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय कार्य/विधायी कार्य विभागों के प्रभारी मंत्रियों और संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों ने सम्मेलन में भाग लिया और सिफारिशें की।

5. युवा संसद योजना

युवा संसद (पहले कृत्रिम संसद कहा जाता था) की परिकल्पना 1962 में आयोजित चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई थी। *शैक्षिक संस्थाओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से कृत्रिम संसद आयोजित करने के लिए* अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश को वर्ष 1966-67 में मूर्त रूप प्रदान किया गया। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को मन में बैठाने, दूसरों के विचारों के प्रति उदारता और संसद के कार्यचालन के बारे में विद्यार्थी समुदाय को बेहतर जानकारी देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहा है। शैक्षिक संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाएं हैं। इनके अतिरिक्त, यह मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण की अध्यक्षता की

युवा संसद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या

वर्ष	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या
2013-14	262
2014-15	222
2015-16	256
2016-17	276
2017-18	296

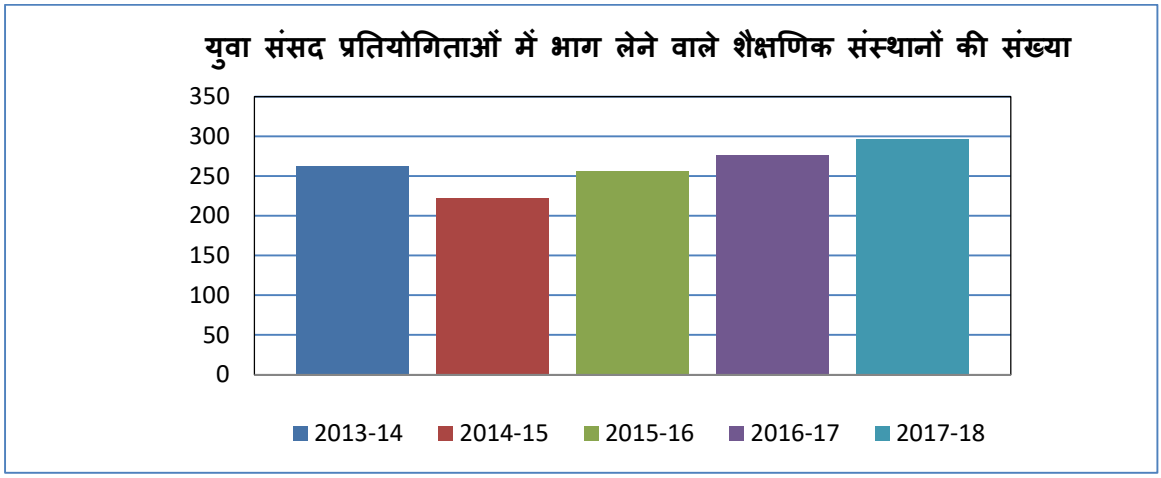

6. शैक्षणिक संस्थानों में युवा संसद प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान:

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसे महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय देश के प्रत्येक कोने में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से युवा संसद प्रतियोगिता के मंच के माध्यम से 2017-18 के बाद से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि इस मिशन की ओर हमारे छात्रों को आकर्षित किया जा सके।

वर्ष 2017-18 के दौरान, पूरे भारत में 297 शैक्षणिक संस्थानों ने स्वच्छ भारत अभियान में पूर्ण उत्साह और खुशी के साथ भाग लिया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने एक विद्यालय में एक ऐसे सत्र की अध्यक्षता की

7. राष्ट्रीय ई-विधान एपलिकेशन: ई-संसद और ई-विधान, मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपीएस)

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में बदलने का एक दृष्टिकोण है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और पद्धति को अन्य बातों के साथ-साथ एक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नागरिक केंद्रित सेवा अभिविन्यास सुनिश्चित करने के लिए, एक विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल और सफलताओं को अपनाने के दौरान पहचान की जाएगी और जहां भी आवश्यक हुआ, आवश्यक प्रतिपादन और अनुकूलन के साथ उसके प्रतिरूप को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति ने अपनी तीसरी बैठक में फैसला किया कि संसदीय कार्य मंत्रालय ई-संसद के साथ-साथ ई-विधान, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) के लिए 'नोडल मंत्रालय' होगा।

ई-विधान एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसे डिजिटाइज करने और राज्य विधान मंडलों के कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए किया जाता है। यह व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है जो भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऐसी पहली विधान सभा है जो ई-विधान समाधान को पायलट परियोजना के रूप में लागू करने के बाद पहले ही पेपरलेस बन चुकी है।

राज्य विधान मंडलों में ई-विधान का कार्यान्वयन कागजात और प्रिंटिंग, डाक इत्यादि जैसे अन्य अतिरिक्त व्यय के उपयोग पर भारी बचत करेगा तथा इसमें राज्य प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य सहित तीव्रतर संचार और निर्णय भी होंगे।

संयुक्त सचिव (ई-गर्वनेस), इलैक्ट्रानिक और सूचना टेक्नोलोजी मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार प्रारंभिक डीपीआर के अनुसार, ई-विधान लगभग 739 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। 20 फरवरी, 2018 को आयोजित बैठक में सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इस सलाह के साथ परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि मंत्रालय परियोजना के अंतिम मूल्यांकन से पहले परियोजना के कार्यान्वयन और रखरखाव, साझा लागत, परियोजना डिजाइन, उद्देश्यों पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए उचित स्तर पर मुख्य सचिवों, पीठासीन अधिकारियों, विधानसभा सचिवों के साथ उचित परामर्श करे।

तदनुसार, विभिन्न हितधारकों के परामर्श के लिए योजना तैयार की गई है। परियोजना दिशानिर्देश, परियोजना को शुरू करने से पहले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए तैयार किया गया है और सभी संबंधितों के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय में एक निगरानी एजेंसी के रूप में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) सृजित की गई है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सलाह के अनुपालन के पश्चात, समिति परियोजना के अंतिम मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ेगी। मंत्रालय 2 अक्तूबर, 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ई-विधान ऐप (एन.ई.वी.ए.) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

8. मंत्रालय में ई-ऑफिस एमएमपी का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए ई-आफिस लागू किया है। मिसिल **प्रस्तुतिकरण** और संचलन की इस ऑनलाइन विधि**,** छुट्टी प्रबंधन**,** आवती प्रबंधन आदि ने मिसिलों के तेज़ी से निपटान को सक्षम **बनाया** है। अब मंत्रालय ई-ऑफिस के माध्यम से पूर्ण स्वचालन पर है तथा इस मंत्रालय को माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री से सराहना प्रमाणपत्र दिया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय को सराहना प्रमाणपत्र देते हुए

9. आश्वासनों की निगरानी

मंत्रालय को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों में से एक संसद में मंत्रालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित तीन व्यापक कार्यवाही शामिल हैं:

क) वाद-विवाद से आश्वासन निकालना;

ख) इनकी पूर्ति की स्थिति पर निगरानी; तथा

ग) सदन के समक्ष कार्यान्वयन रिपोर्ट रखना।

16 वीं लोक सभा से पहले, लंबित आश्वासनों की संख्या 801 थी तथा वर्तमान लोक सभा के साथ-साथ इसी अवधि के दौरान राज्य सभा के, निकाले गए आश्वासनों की कुल संख्या 8311 थी जो कुल मिलाकर 9111 बन गई। इस अवधि के दौरान 5576 आश्वासन का निपटान किया गया था।

आश्वासनों की निगरानी को सशक्त बनाने के लिए, इस मंत्रालय ने ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है। ई-ऑफिस के साथ समन्वित एकल डेटाबेस (ओएएमएस) इस मंत्रालय द्वारा बनाए रखा

जाएगा जो विसंगति और बेमेल की संभावना को खत्म कर देगा जिसका सामना किया जा रहा था।

10. सद्भावना शिष्टमंडल

संसदीय कार्य मंत्रालय प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों के लिए संसदविदों के कुछ सद्भावना शिष्टमंडलों को प्रायोजित करता है जिसमें मुख्य सचेतक/सचेतक, नेता/उप नेता और प्रतिष्ठित संसद सदस्य शामिल होते हैं, जो अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और मत निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों और उपलब्धियों को स्पष्ट तौर पर दर्शाते हुए उनका भरोसा भारत के पक्ष में अर्जित करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न देशों से संसदविदों के ऐसे सद्भावना शिष्टमंडलों का आतिथ्य भी कर रहा है। 2014 से मई, 2018 के दौरान संसदविदों के निम्नलिखित सद्भावना शिष्टमंडलों ने विदेशों का दौरा किया:-

क्र.सं.	**जिन देशों का दौरा किया**	**शिष्टमंडल के नेता**	**अवधि**
1	मैक्सिको सिटी, अर्जेंटीना और चिली	श्री संतोष कुमार गंगवार, संसदीय कार्य राज्य मंत्री	26 अक्तूबर, 2014 से 7 नवंबर, 2014
2	आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड	श्री राजीव प्रताप रूडी, संसदीय कार्य और कौशल विकास राज्य मंत्री	24 मई, 2015 से 4 जून, 2015
3	सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया	श्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री	10 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2016
4	पुर्तगाल और स्पेन	श्री अनंत कुमार, संसदीय कार्य तथा रसायन और उर्वरक मंत्री	16 अक्तूबर, 2016 से 23 अक्तूबर, 2016

5	स्वीडन, नार्वे और इज़राइल	श्री एस.एस. अहलुवालिया, संसदीय कार्य तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री	29 मई, 2017 से 6 जून, 2017